न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः- 203/2025

साहिल चौधरी पुत्र श्री कमलेश कुमार जाति जाट निवासी वार्ड 9 रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-ःवादी

बनाम्

1 कमलेश कुमार पुत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासी वार्ड 9 रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

-ःप्रतिवादीगण

उपस्थित ः-

1. श्री रामकुमार - अधिवक्ता वादी
2. श्री सुरेन्द्र सिहाग - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 2

-ःनिर्णयः-

दिनांक 07.07.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी एंव प्रतिवादीगण के पत्र, व्यवहार के प्रमाणिक एंव पंजीबद्ध पते वही है जो शीर्षक वाद पत्र में निवेदित किये गए हैं।

यह कि वादी के पिता को वादी के दादा श्री काशीराम की मृत्युपरान्त विरास्तन कृषि भूमि प्राप्त हुई। इस कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का जन्मसिद्ध अधिकार है। उक्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

चक नम्बर 7 आरपी-ए पत्थर नम्बर 164/355 (28) कि.न. 16 ता 19 सालम, 20/2/.202, 21/1/.202, 22 ता 25 सालम प.न. 165/355 (27) कि.न. 16 ता 25 सालम। इस प्रकार दोनो मुरब्बो में कुल 4.158 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1720/2497 हिस्सा यानि 3.440 हैक्टेयर दर्ज कागजात माल पटवार है। चक की प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 संलग्न वाद पत्र है।

यह कि बाद पत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि में से 759/2497 यानि 1.518 हैक्टेयर भूमि का दानपत्र वादी के पिता द्वारा वादी की माता शारदा के नाम करवा दिया। अब वादी प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा में शेष बची भूमि में अपना आधा हिस्सा जिसका वह कानूनी अधिकारी है प्राप्त करना चाहता है तथा वादी के पास 7 बीघा भूमि प[illegible] भी है।

यह कि वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि [illegible] के कारण वादी इस कृषि भूमि में अपना आधा हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है [illegible] व प्रतिवादी संख्या-1 के मध्य घराघरू विभाजन के अनुसार वादी को चक 7 आरपी-ए के [illegible].165/355 (27) कि.न. 17 से 23 सालम कृषि भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है। वादी चक 7 आरपी-ए की कृषि भूमि घराघरू मौखिक विभाजन के अनुसार पिछले 5 वर्षो से काश्त करता चला आ रहा है। आज भी यह कृषि भूमि वादी के कब्जा काश्त में है

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:48:47 IST
Reason: Self Attested

यह कि वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि घराघरू विभाजन के अनुसार काश्त कर रहा है। दिनांक 05.04.2025 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि वह चक 7 आरपी ए में अपने हिस्सा की कृषि भूमि में से आधा हिस्सा वादी के नाम करवा देवें ताकि वादी को कृषि कार्य हेतू ऋण की सुविधा व अन्य सरकारी सहायता उपलब्ध हो सके। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 05.04.2025 को ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है।

यह कि वादी वाद पत्र की धारा-2 में वर्णित कृषि भूमि को घराघरू विभाजन के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा कर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादी वाद पत्र की धारा-2 में वर्णित प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा की कृषि भूमि चक 7 आरपीए की प.न. 165/355 (27) कि.न. 17 से 23 सालम कृषि भूमि को अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 से भौतिक विभाजन कर अपने पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा जारी करवाने का अधिकारी है। आदि आदि कथनों सहित वाद पत्र पेश किया।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिहाग वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ने दावा में राजीनामा पेश कर वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व मुताबिक सहमति के घोषणा की जाती है किः- चक 7 आरपी-ए खाता सं. 12/7 में प्रतिवादी सं. 1 कमलेश कुमार के नाम दर्ज हिस्सा 1770/2479 अर्थात 3.440 हैक्टेयर में से वादी साहिल चौधरी को 1.771 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु. /गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:48:47 IST
Reason: SelfAttested

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ